भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4519

उत्तर देने की तारीख : 27.03.2025

महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई

4519. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में और विशेषकर मछलीशहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट पहलों को कार्यान्वित किया गया है और ये पहलें किस प्रकार से राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के साथ संरेखित होती हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए वित्त की सुलभता बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, यह देखते हुए कि अध्ययनों से पता चलता है कि देश में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत ने औपचारिक संस्थागत वित्तपोषण का लाभ नहीं उठाया है;

(घ) उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने में सरकारी योजनाएं किस हद तक प्रभावी रही है और अन्य राज्यों के कार्य-निष्पादन की तुलना में उनकी सफलता का मूल्यांकन करने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया गया है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी विशिष्ट चुनौतियां हैं जो महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के विकास में बाधा डालती हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उत्तर प्रदेश राज्य में उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित, उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 21,32,684 है, जिसमें मछलीशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित है।

(ख) से (ङ) : केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से, एमएसएमई में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। कई योजनाओं के तहत, महिलाओं के लिए समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन के प्रावधान हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सहित, देश में एमएसएमई के लिए की गई पहलों का विवरण इस प्रकार है:

i. महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

ii. महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश 2012, वर्ष 2018 में यथा संशोधित, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% अनिवार्य रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदने का आदेश देता है।

iii. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए, वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट दी जाती है; तथा 90% की गारंटी कवरेज दी जाती है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना - उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए स्वीकृत गारंटियों की संख्या		
वित्त वर्ष	स्वीकृत गारंटियों की संख्या	स्वीकृत गारंटियां (राशि करोड़ रुपए में)
2021-22	10,678	692
2022-23	18,598	1,415
2023-24	69,691	3,286
2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक)	66,129	4,164

iv. एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है, जो एक प्रमुख ऋण-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस कार्यक्रम के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी दर शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए, शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाले सहायता प्राप्त एमएसएमई की संख्या और वितरित मार्जिन मनी		
वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)
2021-22	3,712	143.72
2022-23	3,549	142.09
2023-24	3,733	173.53
2024-25 (दिनांक 24.03.2025 तक)	1,670	73.74

v. महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कॅयर विकास योजना के तहत 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' का क्रियान्वयन किया है, जो कॅयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

vi. खरीद और विपणन योजना के तहत व्यापार मेलों में प्रतिभागियों के लिए अन्य उद्यमियों को 80% तक की सब्सिडी की तुलना में महिला उद्यमियों को उन की भागीदारी के लिए 100% सब्सिडी दी जाती है।

vii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को 'यशस्विनी अभियान' शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के माध्यम से औपचारिकरण, ऋण क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है।

viii. एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए केन्द्रीय बजट 2025 में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, पहली बार उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का आवधिक ऋण प्रदान करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है।

एमएसएमई मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य सहित, देश में एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, उद्योग संघों, राज्य सरकारों, सदस्य ऋण संस्थानों, एमएसएमई-विकास कार्यालय (एमएसएमई-डीएफओ) आदि सहित सभी हितधारकों के साथ समन्वय करता है।

*****